

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,

सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण

पत्रांक-1102/नि०शा०/2019-20

दिनांक- 24 जून, 2019.

विषय: ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना की वित्तीय वर्ष 2018-19 (कार्यान्वयन वर्ष 2019-20) हेतु भारत सरकार द्वारा सामान्य मद हेतु अवमुक्त/पुनर्वैध केन्द्रांश के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में कुल धनराशि रू० 942.23 लाख (रू० नौ करोड़ बयालिस लाख तेईस हजार मात्र) की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटन का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 13/2019/599/सत्रह-म-2019-6-9-(2)/19 दिनांक 06 जून 2019 (प्रतिलिपि संलग्न) में उल्लिखित चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक प्रावधान के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 (कार्यान्वयन वर्ष 2019-20) हेतु ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा सामान्य मद हेतु अवमुक्त/पुनर्वैध केन्द्रांश के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप कुल धनराशि रू० 942.23 लाख (रू० नौ करोड़ बयालिस लाख तेईस हजार मात्र) की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ जनपदों को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय सम्बन्धित लाभार्थियों को डी०बी०टी० के माध्यम से प्रश्नगत शासनादेश में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के आदेश संख्या 20/2016/2362/सत्रह-म-2016-6-9(333)/16 दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश/गाइड लाइन्स एवं शासनादेश संख्या 2/2018/2236/सत्रह-म-2018-6-9(333)/16 टी०सी० दिनांक 23 जनवरी, 2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग-निर्देश में दिये गये निर्देशों व अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है, जिस पर ब्याज अर्जित होता है तो अर्जित ब्याज की निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व निदेशक मत्स्य का होगा।

3- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बन्ध में सामग्री/उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

4- भारत सरकार के पत्रांक जे०-18001/1/2017-एफवाई, दिनांक 25.04.2019 के प्रस्तर-3 के अनुसार धनराशि का अन्तरण डी०बी०टी०/पी०एफ०एम०एस० प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण-पत्र का प्रेषण पी०एफ०एम०एस० से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

- 6- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
- 7- स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 8- स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 तथा शासनादेश संख्या- बी0-1-1195/दस-16-94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 9- स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।
- 10- धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- 11- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
- 12- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान सं0-17 के अधीन लेखा शीर्षक-2405-मछली पाल 101-अन्तर्देशीय मछली पालन- 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0102- ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना, 20 सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।
- 13- उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या- (90) पर अंकित है।

भववीया
(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक- /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- संबंधित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी
- 3- अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 4- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी.....
- 5- उप निदेशक मत्स्य(नियो0), मुख्यालय।
- 6- गार्ड फाइल।
- 7- वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,

सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण

पत्रांक—
विषय:

/नि०शा०/2019-20

दिनांक— 24 जून, 2019.

ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना की वित्तीय वर्ष 2018-19 (कार्यान्वयन वर्ष 2019-20) हेतु भारत सरकार द्वारा सामान्य मद हेतु अवमुक्त/पुनर्वैध केन्द्रांश के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में कुल धनराशि रू० 942.23 लाख (रू० नौ करोड़ ब्यालिस लाख तेईस हजार मात्र) की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटन का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 13/2019/599/सत्रह-म-2019-6-9-(2)/19 दिनांक 06 जून 2019 (प्रतिलिपि संलग्न) में उल्लिखित चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक प्रावधान के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 (कार्यान्वयन वर्ष 2019-20) हेतु ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा सामान्य मद हेतु अवमुक्त/पुनर्वैध केन्द्रांश के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप कुल धनराशि रू० 942.23 लाख (रू० नौ करोड़ ब्यालिस लाख तेईस हजार मात्र) की शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ जनपदों को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय सम्बन्धित लाभार्थियों को डी०बी०टी० के माध्यम से प्रश्नगत शासनादेश में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार की सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के आदेश संख्या 20/2016/2362/सत्रह-म-2016-6-9(333)/16 दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश/गाइड लाइन्स एवं शासनादेश संख्या 2/2018/2236/सत्रह-म-2018-6-9(333)/16 टी०सी० दिनांक 23 जनवरी, 2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग-निर्देश में दिये गये निर्देशों व अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है, जिस पर ब्याज अर्जित होता है तो अर्जित ब्याज की निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व निदेशक मत्स्य का होगा।

3- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से कय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बन्ध में सामग्री/उपकरण कय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

4- भारत सरकार के पत्रांक जे०-18001/1/2017-एफवाई, दिनांक 25.04.2019 के प्रस्तर-3 के अनुसार धनराशि का अन्तरण डी०बी०टी०/पी०एफ०एम०एस० प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण-पत्र का प्रेषण पी०एफ०एम०एस० से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

6- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 तथा शासनादेश संख्या- बी0-1-1195/दस-16-94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9- स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

10- धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

11- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान सं0-17 के अधीन लेखा शीर्षक-2405-मछली पाल 101-अन्तर्देशीय मछली पालन- 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0102- ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना, 20 सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

13- उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या- (90) पर अंकित है।

भवदीया

(पूजा रमन)

वित्त एवं लेखाधिकारी

कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक- 1/02 /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- संबंधित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी
- 3- अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 4- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी.....
- 5- उप निदेशक मत्स्य(नियो0), मुख्यालय।
- 6- गार्ड फाइल।
- 7- वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)

वित्त एवं लेखाधिकारी

कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

A

संख्या: 13 /2019/ 599 /सत्रह-म-2019-6-9 (2)/19

प्रेषक,

डा० सुधीर एम० बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ०प्र० लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

लखनऊ दिनांक 06 जून ,2019

विषय ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना की वर्ष 2018-19 (कार्यान्वयन वर्ष 2019-20) हेतु भारत सरकार द्वारा सामान्य मद में अवमुक्त/पुनर्वैध केन्द्रांश के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में कुल धनराशि ₹0 942.23 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या -125/नि०शा०/2019-20 दिनांक 10 मई, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ब्लू रिवोल्यूशन:इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 (कार्यान्वयन वर्ष 2019-20) हेतु भारत सरकार द्वारा सामान्य मद में अवमुक्त/पुनर्वैध केन्द्रांश ₹0 569.43 लाख के सापेक्ष आय-व्ययक में प्राविधानित बजट ₹0 4195.78 लाख के अन्तर्गत, प्रथम किश्त के रूप में केन्द्रांश धनराशि ₹0 569.43 लाख तथा मैचिंग राज्यांश धनराशि ₹0 372.80 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि ₹0 942.23 लाख (नौ करोड़ ब्यालीस लाख तेइस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि भारत सरकार के सहयोग से संचालित ब्लू रिवोल्यूशन : इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए भारत सरकार के पत्र संख्या- जे०- 1203113/48/2017- एफवाई-॥ दिनांक 12 सितम्बर, 2018 द्वारा कुल ₹0 5151.86 लाख की परियोजनायें स्वीकृत की गयी थी, जिनमें से केन्द्रांश ₹0 1608.86 लाख, राज्यांश ₹0 1140.40 लाख एवं लाभार्थी अंश 2626.50 लाख की धनराशि निहित है। कुल ₹0 1608.86 लाख के केन्द्रांश के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में समसंख्यक पृथक-पृथक पत्र संख्या- जे-1203113/48 /2017- एफवाई -॥ दिनांक 12 सितम्बर, 2018 द्वारा कुल ₹0 804.43 लाख (सामान्य मद हेतु ₹0 569.43 लाख, अनुसूचित जाति मद हेतु ₹0 177.00 लाख, अनुसूचित जनजाति मद हेतु ₹0 58.00 लाख) का केन्द्रांश वर्ष 2018-19 में अवमुक्त किया गया था, जिसका उपयोग आय-व्ययक वर्ष 2018-19 में बजट प्राविधान न हो पाने के कारण विगत वर्ष में नहीं हो सका। भारत सरकार के पत्रांक जे०-18001/1/2017-एफवाई, दिनांक 25.04.2019 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान निर्गत समस्त अप्रयुक्त/अवशेष केन्द्रीय सहायता को वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय करने हेतु पुनर्वैध कर दिया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

(2)

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक मत्स्य द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुक्रम में वर्ष 2018-19 में ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत अवमुक्त एवं वर्ष 2019-20 में व्यय किये जाने हेतु पुनर्वेध केन्द्रांश धनराशि रु0 569.43 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में केन्द्रांश रु0 569.43 लाख तथा मैचिंग राज्यांश रु0 372.80 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रु0 942.23 लाख (रु0 नौ करोड बयालीस लाख तेइस हजार मात्र) को निम्न तालिकानुसार 05 मर्दों में श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रु0 लाख में)

क्र० सं०	परियोजना का नाम फण्डिंग पैटर्न (के०:रा:ला०अ०)	भौतिक इकाई	इकाई लागत	कुल परियोजना लागत	अनुमन्य अनुदान (के०+रा०)	वर्ष 2018-19(कार्यान्वयन वर्ष 2019-20) हेतु सामान्य मद में अवमुक्त/पुनर्वेध केन्द्रांश रु0 569.43 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की जा रही धनराशि			अभ्युक्ति
						केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1	नये तालाबों का निर्माण (सामान्य) (24%:16%:60%:)	275हे०	7.00	1925.00	770.00	462.00	308.00	770.00	मत्स्य निदेशालय के पत्र संख्या- 125/नि०शा०/ 2019-20 दिनांक 10 मई, 2019 द्वारा संलग्नकों के रूप में उपलब्ध कराये गये जनपदवार फांट /विवरण के अनुसार
2	आई०एम०सी० हैचरियों की स्थापना (महिला) (36%:24%:40%:)	1 सं०	25.00	25.00	15.00	7.20	4.80	12.00	
3	रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम मध्यम आकार (महिला) (36%:24%:40%:)	9 सं०	50.00	450.00	270.00	86.40	57.60	144.00	
4	लघु फिश फीड मिल (महिला) (36%:24%:40%:)	2सं०	10.00	20.00	12.00	3.60	2.40	6.00	
5	प्रशासकीय व्यय (कुल केन्द्रांश का 3 प्रतिशत)	-	-	46.86	-	10.23	0.00	10.23	मत्स्य निदेशालय स्तर से
					योग -	569.43	372.80	942.23	धनराशि आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।

(रु0 नौ करोड बयालीस लाख तेइस हजार मात्र)

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के आदेश संख्या-20/2016/2362/सत्रह-म-2016-6-9(333)/16 दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्गत दिशा- निर्देश/गाइड लाइन्स एवं शासनादेश संख्या- संख्या-2/2018 /2236/ सत्रह-म-2018-6-9(333)/16 टी0सी0 दिनांक 23 जनवरी, 2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग- निर्देश में दिये गये निर्देशों व अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
- (2) स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है, जिस पर ब्याज अर्जित होता है तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व निदेशक मत्स्य का होगा।
- (3) निर्माण कार्यों के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री /उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (4) भारत सरकार के पत्रांक जे0-18001/1/2017- एफवाई दिनांक 25.04.2019 के प्रस्तर- 3 के अनुसार धनराशि का अन्तरण डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 प्लेटफार्मका उपयोग तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
- (7) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 तथा शासनादेश संख्या-बी0-1-1195/दस-16-94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (9) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में पी0एल0ए0/ डाकघर /बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।
- (10) धनराशि का आवंटन/एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(4)

जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(11) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीयधन व्यय करने में उ०प्र० बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक-2405- मछली पालन-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज योजना, 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन) मद के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 में दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा० सुधीर एम० बोबडे)

प्रमुख सचिव ।

संख्या- 13/2019 /599(1)/ सत्रह-म-2019 तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकादरी) प्रथम/द्वितीय उ०प्र० इलाहाबाद।

2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ०प्र० इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।

4- सम्बन्धित कोषाधिकारी, उ०प्र०।

5- वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ०प्र० लखनऊ।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियो० अनुभाग-3 ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)

अनुसचिव।

v

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2019-2020

आवंटन दिनांक-18/06/2019

प्रेषण संख्या:- 1
 आवंटन आदेश संख्या:- 001-NEW PONDS NIRMAN GENRAL 16-6-2019
 अनुदान संख्या:- 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आवंटन)
 लेखाशीर्षक:- 2405 - मछली पालन(आयोजनेतर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
 01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
 02 - ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	सहारनपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 1529600 1729600	1529600 1729600
2	मुजफ्फर नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 840000 2586000	840000 2586000
3	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 868000 1508000	868000 1508000
4	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --18-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बागपत	वर्तमान प्रगामी 1259400 1475400	1259400 1475400
5	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --20-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - हापुर	वर्तमान प्रगामी 1400000 1600000	1400000 1600000
6	बुलन्दशहर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 616000 816000	616000 816000
7	अलीगढ़-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 1036000 1866000	1036000 1866000
8	मथुरा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 1277000 1277000	1277000 1277000
9	आगरा-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 280000 592000	280000 592000
10	मैनपुरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 980000 2139000	980000 2139000
11	एटा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 1988000 3996000	1988000 3996000
12	बरेली-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 880300 880300	880300 880300
13	बरेली-4362-उप निदेशक मत्स्य , --22-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बदायूं	वर्तमान प्रगामी 1400000 3003600	1400000 3003600
14	बिजनौर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 1400000 1880000	1400000 1880000
15	मुरादाबाद-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 904000 1746800	904000 1746800
16	मुरादाबाद-4362-उप निदेशक मत्स्य , --19-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - सम्भल	वर्तमान प्रगामी 574000 1194000	574000 1194000
17	शाहजहांपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 1231000 2151000	1231000 2151000
18	पीलीभीत-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 1139000 1523000	1139000 1523000
19	रामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 608000 1088000	608000 1088000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
20	फर्रुखाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1453500 2857900	1453500 2857900
21	इटावा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2440800 4296800	2440800 4296800
22	कानपुर नगर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	980000 1460000	980000 1460000
23	कानपुर नगर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --25-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - कानपुर देहात	वर्तमान प्रगामी	980000 1397800	980000 1397800
24	फतेहपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1260000 2059800	1260000 2059800
25	प्रयागराज-4362-उप निदेशक मत्स्य , --16-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - प्रतापग	वर्तमान प्रगामी	1400000 2260000	1400000 2260000
26	झाँसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	448000 1728000	448000 1728000
27	जालौन-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	476800 2286500	476800 2286500
28	बांदा -2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1400000 2007200	1400000 2007200
29	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	532000 1332000	532000 1332000
30	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --11-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गाजीपुर	वर्तमान प्रगामी	980000 1780000	980000 1780000
31	वाराणसी-4362-उप निदेशक मत्स्य , --12-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य -जौनपुर	वर्तमान प्रगामी	1260000 3809000	1260000 3809000
32	मिर्जापुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1120000 1840000	1120000 1840000
33	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1156700 2832700	1156700 2832700
34	गोरखपुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --10-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	1400000 3110500	1400000 3110500
35	बस्ती-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	491100 1263100	491100 1263100
36	बस्ती-4362-उप निदेशक मत्स्य , --26-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - सन्त कबीर नगर	वर्तमान प्रगामी	580200 1478800	580200 1478800
37	आजमगढ़-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	840000 1700000	840000 1700000
38	आजमगढ़-4362-उप निदेशक मत्स्य , --15-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बलिया	वर्तमान प्रगामी	700000 1416000	700000 1416000
39	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1024200 1552600	1024200 1552600
40	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --02-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - उन्नाव	वर्तमान प्रगामी	977200 1957200	977200 1957200
41	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --03-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - रायबरेली	वर्तमान प्रगामी	1063700 2603700	1063700 2603700
42	सीतापुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	924000 1804000	924000 1804000
43	हरदोई-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	756000 1322000	756000 1322000
44	लखीमपुर खीरी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	392000 672000	392000 672000
45	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1960000 3170000	1960000 3170000
46	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --04-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - गण्डा	वर्तमान प्रगामी	3178000 3938000	3178000 3938000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
47	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --05-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - सुल्तानपुर	वर्तमान प्रगामी 630000 630000	630000 630000
48	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --06-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - बाराबंकी	वर्तमान प्रगामी 2022700 2796700	2022700 2796700
49	अयोध्या-4362-उप निदेशक मत्स्य , --07-मु0 कार्यकारी अधिकारी- मत्स्य - छत्रपतिसाहुजीमहराज नगर	वर्तमान प्रगामी 1848000 2428000	1848000 2428000
50	बहराइच-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 3714800 5214800	3714800 5214800
51	ललितपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 560000 760000	560000 760000
52	मऊ-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 840000 1140000	840000 1140000
53	सिद्धार्थनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 1400000 1880000	1400000 1880000
54	फिरोजाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 661600 735200	661600 735200
55	सोनभद्र-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 1680000 3024400	1680000 3024400
56	महाराजगंज-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 1400000 2918000	1400000 2918000
57	महोबा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 560000 1523400	560000 1523400
58	कुशीनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 1400000 2986000	1400000 2986000
59	अम्बेदकर नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 1265600 1265600	1265600 1265600
60	गौतमबुद्ध नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 1081200 1081200	1081200 1081200
61	चन्दौली-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 1540000 1540000	1540000 1540000
62	हाथरस-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 868000 1378000	868000 1378000
63	बलरामपुर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 1260000 1924300	1260000 1924300
64	कौशाम्बी-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 1120000 2400000	1120000 2400000
65	श्रावस्ती-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 1083600 1351700	1083600 1351700
66	अमरोहा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 840000 1913800	840000 1913800
67	चित्रकूट-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 840000 1560000	840000 1560000
	योग	वर्तमान प्रगामी 77000000 131438400	77000000 131438400

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-

रुपया सात करोड़ सत्तर लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रुपया तेरह करोड़ चौदह लाख अड़तीस हजार चार सौ


(पूजा रमेश)
वित्त एवं लेखाधिकारी

 complete

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2019-2020

आवंटन दिनांक-19/06/2019

प्रेषण संख्या:-

आवंटन आदेश संख्या:-

अनुदान संख्या:-

लेखाशीर्षक:-

1

001-Eastablishment of Fish Seed Hatchery

17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आवंटन)

2405 - मछली पालन(आयोजनेतर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

02 - ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना

(धनराशि रु. में)

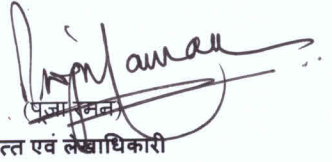
S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	श्रावस्ती-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 1200000 2551700	1200000 2551700
	योग	वर्तमान प्रगामी 1200000 2551700	1200000 2551700

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-

महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रुपया बारह लाख

रुपया पच्चीस लाख इक्यावन हजार सात सौ


 पञ्चायत
 वित्त एवं लेखाधिकारी

 complete

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2019-2020

आवंटन दिनांक-19/06/2019

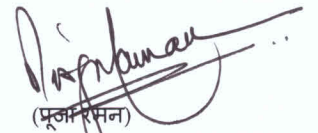
प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-
अनुदान संख्या:-
लेखाशीर्षक:-

1
001-RAS SCHEME ALLOTMENT
17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आवंटन)
2405 - मछली पालन(आयोजनोत्तर-मतदेय)
101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
02 - ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	मुजफ्फर नगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 1800000 4386000	1800000 4386000
2	मेरठ-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 1800000 3308000	1800000 3308000
3	आगरा-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 1800000 2392000	1800000 2392000
4	एटा-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 1800000 5796000	1800000 5796000
5	मिर्जापुर-4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 1800000 3640000	1800000 3640000
6	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4362-उप निदेशक मत्स्य , --01-उप -निदेशक मत्स्य जनपदीय	वर्तमान प्रगामी 1800000 3352600	1800000 3352600
7	सिद्धार्थनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 1800000 3980000	1800000 3980000
8	फिरोजाबाद-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी 1800000 2535200	1800000 2535200
	योग	वर्तमान प्रगामी 14400000 29389800	14400000 29389800

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-
महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रुपया एक करोड़ चौवालीस लाख
रुपया दो करोड़ तिरानवे लाख नवासी हजार आठ सौ


(प्रमाणित)

वित्त एवं लेखाधिकारी

A complete

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2019-2020
आवंटन दिनांक-19/06/2019

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-
अनुदान संख्या:-
लेखाशीर्षक:-

1
001-Small Feed Mill
17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)(वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आवंटन)
2405 - मछली पालन(आयोजनेतर-मतदेय)

101 - अन्तर्देशीय मछली पालन
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
02 - ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	सिद्धार्थनगर-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान 300000 प्रगामी 2180000	300000 2180000
2	चित्रकूट-2366-सहायक निदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान 300000 प्रगामी 1860000	300000 1860000
	योग	वर्तमान 600000 प्रगामी 4040000	600000 4040000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-
महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रूपया छः लाख
रूपया चालीस लाख चालीस हजार


(पूजा रमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी
★ complete

सेंट्रल सेक्टर स्कीम * ब्लू रिवोल्युशन : इंटीग्रेटेड डवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ
फिशरीज योजना (Gen.)

निजी भूमि पर तालाब निर्माण (2018-19)

SI.NO.	DISTRICT	AREA(Ha)	Project cost (Rs.in Lakh)	Total subsidy (Rs.in Lakh)	Central (Rs.in Lakh)	State (Rs.in Lakh)
1	2	3	4	5	6	7
1	मेरठ	3.100	21.700	8.680	5.208	3.472
2	बागपत	4.498	31.486	12.5943	7.557	5.038
3	हापुड	5.000	35.000	14.000	8.400	5.600
4	बुधशहर	2.200	15.400	6.160	3.696	2.464
5	गौतमबुद्धनगर	3.861	27.030	10.812	6.487	4.325
6	बरेली	3.144	22.008	8.803	5.282	3.521
7	भाहजहॉपुर	4.397	30.780	12.310	7.386	4.924
8	बदायूं	5.000	35.000	14.000	8.400	5.600
9	पीलीभीत	4.068	28.476	11.390	6.834	4.556
10	कुशीनगर	5.000	35.000	14.000	8.400	5.600
11	महराजगंज	5.000	35.000	14.000	8.400	5.600
12	देवरिया	5.000	35.000	14.000	8.400	5.600
13	गोरखपुर	4.131	28.917	11.567	6.940	4.627
14	अलीगढ़	3.700	25.900	10.360	6.216	4.144
15	हाथरस	3.100	21.700	8.680	5.208	3.472
16	एटा	2.100	14.700	5.880	3.528	2.352
17	कासगंज	5.000	35.000	14.000	8.400	5.600
18	फिरोजाबाद	2.363	16.541	6.616	3.970	2.646
19	मैनपुरी	3.500	24.500	9.800	5.880	3.920
20	आगरा	1.000	7.000	2.800	1.680	1.120
21	मथुरा	4.560	31.920	12.770	7.662	5.108
22	बस्ती	1.754	12.278	4.911	2.947	1.964
23	संत कबीर नगर	2.072	14.504	5.802	3.481	2.321
24	सि.द्धार्थनगर	5.000	35.000	14.000	8.400	5.600
25	लखनऊ	3.658	25.606	10.242	6.145	4.097
26	उन्नाव	3.490	24.430	9.772	5.863	3.909
27	खीरी	1.400	9.800	3.920	2.352	1.568
28	सीतापुर	3.300	23.100	9.240	5.544	3.696
29	रायबरेली	3.799	26.593	10.637	6.382	4.255

gndh

Binal
08/05/19

gndh

(एस० के० सिंह)
निदेशक मत्स्य उ० प्र०

Sl.NO.	DISTRICT	AREA(Ha)	Project cost (Rs.in Lakh)	Total subsidy (Rs.in Lakh)	Central (Rs.in Lakh)	State (Rs.in Lakh)
1	2	3	4	5	6	7
30	हरदोई	2.700	18.900	7.560	4.536	3.024
31	मुरादाबाद	3.230	22.610	9.040	5.424	3.616
32	सम्भल	2.050	14.350	5.740	3.444	2.296
33	अमरोहा	3.000	21.000	8.400	5.040	3.360
34	रामपुर	2.170	15.190	6.080	3.648	2.432
35	बिजनौर	5.000	35.000	14.000	8.400	5.600
36	फैजाबाद	7.000	49.000	19.600	11.760	7.840
37	अम्बेडकरनगर	4.520	31.640	12.656	7.594	5.062
38	अमेठी	6.600	46.200	18.480	11.088	7.392
39	सुल्तानपुर	2.250	15.750	6.300	3.780	2.520
40	बाराबंकी	7.224	50.568	20.227	12.136	8.091
41	गोण्डा	11.350	79.450	31.780	19.068	12.712
42	बहराइच	13.267	92.869	37.148	22.289	14.859
43	श्रावस्ती	3.870	27.090	10.836	6.502	4.334
44	बलरामपुर	4.500	31.500	12.600	7.560	5.040
45	मुजफ्फरनगर	3.000	21.000	8.400	5.040	3.360
46	सहारनपुर	5.463	38.241	15.296	9.178	6.119
47	बांदा	5.000	35.000	14.000	8.400	5.600
48	चित्रकूट	3.000	21.000	8.400	5.040	3.360
49	महोबा	2.000	14.000	5.600	3.360	2.240
50	झांसी	1.600	11.200	4.480	2.688	1.792
51	जालौन	1.703	11.921	4.768	2.861	1.907
52	ललितपुर	2.000	14.000	5.600	3.360	2.240
53	मीरजापुर	4.000	28.000	11.200	6.720	4.480
54	सोनभद्र	6.000	42.000	16.800	10.080	6.720
55	कौशांबी	4.000	28.000	11.200	6.720	4.480
56	फतेहपुर	4.500	31.500	12.600	7.560	5.040
57	प्रतापगढ़	5.000	35.000	14.000	8.400	5.600
58	कानपुर नगर	3.500	24.500	9.800	5.880	3.920
59	कानपुर देहात	3.500	24.500	9.800	5.880	3.920
60	इटावा	5.317	37.219	14.888	8.933	5.955
61	औरैया	3.400	23.800	9.520	5.712	3.808

[Signature]

[Signature]
08/05/19

[Signature]

[Signature]
(रिपोर्टर को सह)
दिनांक 08/05/19

Sl.NO.	DISTRICT	AREA(Ha)	Project cost (Rs.in Lakh)	Total subsidy (Rs.in Lakh)	Central (Rs.in Lakh)	State (Rs.in Lakh)
1	2	3	4	5	6	7
62	फर्रुखाबाद	3.217	22.519	9.008	5.405	3.603
63	कन्नौज	1.974	13.818	5.527	3.316	2.211
64	आजमगढ़	3.000	21.000	8.400	5.040	3.360
65	मऊ	3.000	21.000	8.400	5.040	3.360
66	बलिया	2.500	17.500	7.000	4.200	2.800
67	वाराणसी	1.900	13.300	5.320	3.192	2.128
68	गाजीपुर	3.500	24.500	9.800	5.880	3.920
69	चन्दौली	5.500	38.500	15.400	9.240	6.160
70	जौनपुर	4.500	31.500	12.600	7.560	5.040
		275.000	1925.0038	770.000	462.000	308.000

B. J. Singh

Abinul
08/05/19

gaur

④Bhush
मिशन-450 (रिड)
मिशन-450 (रिड)

DETAILS OF D.P.R. UNDER R.A.S. SCHEME DURING 2017-18 (FEMALE)						
Sl.No.	DPR Status		Amount of DPR in Lakh	Funding Pattern		TO BE RELEASED in Lakh
	District	Beneficiary Name		Subsidy Percentage	Subsidy Amount in Lakh	
1	Sidhartha Nagar	Aamina Khatoon	50	60%	30	18
2	Agra	Shalini Chug	50	60%	30	18
3	Firozabad	Meera Baghel	50	60%	30	18
4	Meerut	Savita Tyagi	50	60%	30	18
5	Muzaffar Nagar	Sushma	50	60%	30	18
6	Lucknow	Sandhya Singh	50	60%	30	18
7	Mirzapur	Krishnawati	50	60%	30	18
8	Etah	Nirmala Devi	50	60%	30	18
Total			400		240	144
60% of TOTAL SUBSIDY						




Establishment of Fish seed hatchery (D.P.R.) 2018-19

S no	District	Beneficiary	Project cost	Subsidy (C.s+Ss)	central share	state share	subsidy to be released
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Shravasti	Smt. Sumaiya Bano (Female)	25.00	15.00	9.00	6.00	12.00/

Small Feed Mill (D.P.R.) 2018-19

S no	District	Beneficiary	Project cost	Subsidy	central share	state share	subsidy to be released
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Chitrakoot	Smt. Kaushilya Devi(Female)	18.27	6.00	3.60	2.40	3.00
2	Siddhartha Ngr	Smt. Klsmati(Female)	10.00	6.00	3.60	2.40	3.00
			28.27	12.00	7.20	4.80	6.00

09/05/2019
(अनिता 259011)

अनिता

(अनिता 259011)
निदेशक मत्स्य, उ.प्र.